## न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002442016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-627 / 16</u> संस्थापित दिनांक-24.12.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—राहुल यादव पुत्र श्री नारायण सिंह यादव उम्र 25
साल निवासी पुरानी कचहरी चंदेरी थाना चंदेरी,
अशोकनगर।
आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा :– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

## —ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 03.04.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं 146/196 एमव्ही एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को 337—दो बार के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 279 एवं 146/196 एमव्ही एक्ट के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी सलमान खां ने दिनांक 29.11.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह तथा शाहरुख खां करीबन 12.45 बजे उसकी मोटरसाईकिल कमांक 67 एमए 2568 में पेद्रोल डलाकर अपने घर मैदान गली आ रहे थे। जब वे मंडी रास्ता चकला वाबडी के पास पहुंचे वैसे ही मंडी तरफ से नारायण सिंह का द्रेक्टर पावर द्रेक नीले कलर का बिना नंबर का चालक उसके द्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाता लाया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे वे दोनों गिर गए एवं उन्हें चोट आई एवं मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 558/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337—दो बार एवं 146 / 196 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 29.11.16 को समय 19.45 बजे मंडी रोड वंसल के मकान के सामने चंदेरी पर वाहन द्रेक्टर क्रमांक एम पी 67 ए 1176 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा प्राप्त किए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सलमान खां, अ.सा. 02 शाहरुख खां की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 सलमान खां ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसाईकिल में पेट्रोल डलाकर आ रहा था तब उसके पीछे से एक ट्रेक्टर ने उसकी मोटरसाईकिल में कट मार दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके साथ शाहरुख भी था और उसने घटना के संबंध में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर टक्कर मारी गई थी। इसी प्रकार अ.सा. 02 शाहरुख ने भी इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी। उपरोक्त साक्षीगण ने पुलिस कथन भी देने से इंकार किया है।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी वाहन को चला रहा था। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी वाहन को बिना वैध बीमा के चालित कर रहा था। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 279 एवं 146/196 एमव्ही एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा एक पावर द्रेक द्रेक्टर मुताबिक जप्ती पत्रक अनुसार पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)